


रिपोर्ट पटवारी हल्का कासबा

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम देवीनिवास के खाला सं. 32,76 में प्राणी का नाम सोसर पुत्री प्यारा जति कुमहार सं. देवीनिवास के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। प्राणी अलेग्ना दस्तावेज (आधार कार्ड) के अनुसार सोसर के लजाम कंकुलारि दर्ज कराया गस्तो है। अतः अलेग्ना दस्तावेज अनुसार सोसर के लजाम कंकुलारि पुत्री प्यारा दर्ज किया जाना उचित है।

प. 30/12/25
रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक वृत्त कासबा

मुलाविक रिपोर्ट पटवारी व हल्ला वरु ने प्रार्थना की गत साक्षर पुत्री प्यारा व कपल कुकुनार पुत्री प्यारा कुमहार उता पता उचित है।


19/12/25

रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां


क्रमांक/राजस्व/कैम्प/25/28

दिनांक - 19/12/25

महोदयजी

निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी व. कासबा, जौचधू-कान्हा, कासबा व अलेग्ना दस्तावेजों के अनुसार नमाबी खाता सं. 32,76 में सोसर के स्थान पर कंकुलारि दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है।

आदेश


तहसीलदार
कैम्प कासबा
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

प्राणी स्वयं ने प्रार्थना पत्र, अलेग्ना दस्तावेजों, पटवारी कासबा, कू. क. नि. कासबा, तहसीलदार बिजौलियां की जगह रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना का नाम सोसर पुत्री प्यारा ने स्थान पर कंकुलारि पुत्री प्यारा दर्ज करने के आदेश पारित किए जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक/राजस्व/कैम्प/25/28
कू. क. नि. कासबा



राजस्थान सरकार
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैंप कोर्ट)
 कैंप कोर्ट का स्थान कार-या

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कार-या की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2078 में खाता संख्या 32 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश: (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
①	देवीनिवास	32	<u>सोरगर पुरी</u> चार	<u>कंकूवाड़ पुरी</u> चार



अजीत सिंह राठौड़
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया

दिनांक :- 27/12/25

दिनांक :- 19/12/2025

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार, बिजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना सिमेंट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कंकूवाड़ पुरी चार
3. रक्षित पत्रावली।



अजीत सिंह राठौड़
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया